

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक 177/कृषि निवेश/बी-250(टी0सी0) दिनांक लखनऊ दिसम्बर, 26 2016

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, उ०प्र०।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि०।
3. समस्त जिला प्रबन्धक पी.सी.एफ. उ०प्र०।

विषय-इफको द्वारा आपूर्तित डीएपी के मूल्यों में कमी विषयक।

राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको लखनऊ ने अपने पत्रांक : 4265-66 दिनांक 21.12.2016 द्वारा सूचित किया है कि इफको डीएपी (18:46) में दिनांक 16.12.2016 से दरों में कमी की गयी है। नई दरें निम्नानुसार संसूचित की जाती है जो दि० 16.12.2016 से प्रभावी होंगी :-
(धनराशि रु० में)

क्र०	विवरण	डीएपी
		18.46
1	समितियों को आपूर्ति दर प्रति मै०टन	22320.00
2	कृषकों को आपूर्ति दर प्रति मै०टन	22800.00
3	कृषकों को फुटकर बिक्री दर प्रति 50 कि०ग्रा बैग	1040.00

इफको द्वारा आपूर्ति निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी:-

1. दिनांक 15.12.2016 की रात्रि को पीसीएफ के बफर गोदाम एवं समितियों के गोदामों में अवशेष (डेफर्ड पेमेन्ट एवं सामान्य) एवं इफको एकाउन्ट की अवशेष डीएपी एवं प्रीपोजीशनिंग स्टाक पर भी उपरोक्त दरें लागू होंगी। दि० 15.12.2016 की रात्रि को अवशेष संभार पर इफको द्वारा अन्तर मूल्य की धनराशि पीसीएफ/समितियों को भुगतान की जायेगी। समिति स्तर पर उक्त सत्यापित उर्वरक संभार के सापेक्ष समितियों को क्रेडिट की जाने वाली धनराशि इस शर्त के साथ देय होगी कि आपूर्तित उर्वरकों के सापेक्ष इफको को समिति और बैंक द्वारा धनराशि का भुगतान कर दिया जाये। पूर्व भण्डारण योजना की उर्वरक के सापेक्ष प्राप्त होने वाली अन्तर मूल्य की धनराशि पीसीएफ द्वारा इस हेतु खुले उर्वरक सी०सी०एल० खाते में जमा की जायेगी।
2. दिनांक 16.12.2016 से उपरोक्त संशोधित/कमी की दरें प्रभावी हो गयी हैं। अतः पीसीएफ बफर गोदामों एवं समितियों पर इफको की डीएपी का दि० 15.12.2016 के अवशेष संभार का सत्यापन तत्परता से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा सत्यापित स्टाक की सूचना क्षेत्रीय प्रतिनिधि इफको को प्रेषित करते हुए सत्यापन प्रेषण की सूचना मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक के माध्यम से दि० 26.12.2016 तक इस कार्यालय को प्रेषित की जाये। मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक 31.12.2016 तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे कि उनके मण्डल में सभी अर्ह समितियों को अन्तर मूल्य की धनराशि प्राप्त हो गयी है।

- 3 इफको द्वारा समितियों को आपूर्ति एफओआर आधार पर की जायेगी। इसके लिए परिवहन मद में समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
- 4 एम0एफ0एम0एस0 के अर्न्तगत एकनॉलेज करने पर रू0 50.00 प्रति मै0टन की दर से इफको द्वारा समितियों को भुगतान किया जायेगा।



(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी-77 / कृषि निवेश / बी-250(टी0सी0) दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस आशय से कि अन्तर मूल्य की धनराशि सम्बन्धित समितियों / पीसीएफ के खाते में क्रेडिट करना सुनिश्चित करें।
- 2 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ / यू०पी०सी०बी०, उ०प्र०।
- 3 समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
- 4 अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेब साईट में अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु।
- 5 कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6 प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ।
- 7 समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 8 समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र०।
- 9 प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।



अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(क०नि०)
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।